रिक्ति परिपत्र

सं. ए/29910/ए–10/मु प्र अ/भर्ती–1

भारत सरकार/**GOVERNMENT OF INDIA**
रक्षा मंत्रालय/**MINISTRY OF DEFENCE**
(संयुक्त सचिव (प्रशि) एवं मुप्रअ कार्यालय)
{OFFICE OF JOINT SECRETARY (TRG) & CAO}
कमरा संख्या 170,ई–ब्लॉक, डलहौजी रोड
नई दिल्ली– 110011

दिनांकः 10 नवम्बर 2015

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

रक्षा लेखा महानियंत्रक, पश्चिमी ब्लाक–5, रामाकृष्णा पुरम नई दिल्ली–66

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

महानिदेशक डाक व तार, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली

मुख्य लेखा नियंत्रक, 9वां तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली

महालेखाकार केन्द्रीय लेखा, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली

रेलवे बोर्ड सचिवालय, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली

विषयः–सशस्त्र सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति या आमेलन आधार पर लेखाकार के 03 पदों को भरा जाना

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय में निम्नलिखित शर्तों पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन आधार पर लेखाकार {साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय, वेतन बैन्ड–2 (₹9300–34800) व ग्रेड वेतन ₹4200/– (पूर्व संशोधित वेतनमान ₹5500–175–9000 में} के वर्तमान में रिक्त 03 पदों को भरा जाना है । 02 पद सेना मुख्यालय में व 01 पद केन्द्रीय सैनिक बोर्ड हेतु है:–

मु.ले.अ. (सिस्टम्स)	CAO/(EDP)
उप मुप्रअ (अनुप्रम) Dy CAO (DCW)	
उप निदेशक (ई डी पी) Dy Dir (EDP)	
प्र. अ. A. O.	A/ 12/11
डायरी संख्या Diary No.	179
दिनांक Date	12/11/15

प्रतिनियुक्ति या आमेलनः केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारीः–

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; **या**

(ii) जिनकी वेतन बैंड–1, ₹5200–20200 + ग्रेड वेतन ₹2800/– श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वहां छह वर्ष की नियमित सेवा हैं; **या**

(iii) जिनकी वेतन बैंड–1, ₹5200–20200 + ग्रेड वेतन ₹2400/– श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वहां श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा हैं; **और**

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैंः–

(i) सचिव प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित "लेखा और रोकड़" पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण रखतें हैं; **या**

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी संगठन में रोकड़, लेखा या बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव रखतें हैं; **या**

(iii) केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवाएं या समतुल्य परीक्षा पास हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिएः प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास लिपिकीय और लेखा कार्य का तीन वर्ष का अनुभव है । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण 1: पद के लिए वास्तविक चयन होने से पहले ऐसे पात्र अधिकारियों के एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने या रिजर्व में स्थानांतरित होने की दशा में उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी ।

टिप्पण 2: सिविल पद के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन है ।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 5: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहॉ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वतेन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी का ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

2. <u>कार्य रुपरेखा</u> सशस्त्र सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय में लेखाकार पद हेतु निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं :–

<u>सेना मुख्यालय</u>

(क) राजस्व व्यय के लिए बजट अनुमान करना ।
(ख) रिर्पोट व रिर्टन बनाना (10 मासिक रिर्पोट, 4 त्रैमासिक रिर्पोट व 5 वार्षिक रिर्पोट तैयार करना)।

<u>केन्द्रीय सैनिक बोर्ड</u>

(क) सभी प्राप्तियों और भुगतान की रोकड बही में प्रविष्टि करना ।
(ख) चेक, ड्राफ्ट/पे आर्डर्स को समय पर बैंकों में जमा करना ।
(ग) अधिशेष निधि का समय पर निवेश हेतु प्रस्ताव करना, उस पर मिलनें वाले ब्याज की मानीटरिंग करना, बैंको के साथ संपर्क करना ।
(घ) कार्यालय के छुटपुट खर्चों के लिए नकदी का साज संभाल ।

3. प्रतिनियुक्ति या आमेलन अधार पर नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का ज्ञापन सं0 6/8/2009–स्थापना (पे–2) दिनांक 17 जुलाई 2010 एवं समय–समय पर इस कम में जारी संशोधनों, यदि कोई है, के अनुसार होगी ।

4. अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में ऐसे पात्र अधिकारियों, जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सके, के आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) पिछले 05 वर्षों के पूर्ण एवं अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोसियरों अथवा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो/वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की फोटोप्रतियों सहित (जो कम से कम अवर सचिव या समतुल्य रैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो) सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र सहित (उप सचिव या समतुल्य रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित) इस विज्ञापन के Employment News/रोजगार समाचार में